न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2019/00124 (89/2019) **दायरा दिनांक :09.04.2019**

उनवान

बनवारी लाल पुत्र रामकरण, जाति मीणा, निवासी राजपुरा, तहसील बारां, जिला बारां मृतक जरिये कायम मुकामान :–

1. भूपेन्द्र आत्मज बनवारीलाल, जाति मीणा, निवासी राजपुरा, तहसील बारां, जिला बारां
2. यशोदा पत्नी बनवारीलाल, जाति मीणा, निवासी राजपुरा, तहसील बारां, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1. जगन्नाथ आत्मज मूलीलाल जी, जाति मीणा, निवासी रायथल, तहसील मांगरोल, जिला बारां मृतक जरिये कायम मुकामान :–
   1/1. रामेश्वर आत्मज जगन्नाथ, जाति मीणा, निवासी रायथल, तहसील मांगरोल, जिला बारां मृतक जरिये कायम मुकामान :–
   1/1/1. मोहर बाई पत्नी रामेश्वर
   1/1/2. पप्पू उर्फ ओम प्रकाश पुत्र रामेश्वर
   1/1/3. जुगराज आत्मज रामेश्वर
   जाति मीणा, निवासी रायथल, तहसील मांगरोल, जिला बारां
2. पीरूमल आत्मज सूरजमल, जाति मीणा, निवासी रायथल, तहसील मांगरोल, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 2019/00125 (90/2019) **दायरा दिनांक :09.04.2019**

उनवान

बनवारी लाल पुत्र रामकरण, जाति मीणा, निवासी राजपुरा, तहसील बारां, जिला बारां मृतक जरिये कायम मुकामान :–

1. भूपेन्द्र आत्मज बनवारीलाल, जाति मीणा, निवासी राजपुरा, तहसील बारां, जिला बारां
2. यशोदा पत्नी बनवारीलाल, जाति मीणा, निवासी राजपुरा, तहसील बारां, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1. पीरूलाल आत्मज सूरजमल, जाति मीणा, निवासी रायथल, तहसील मांगरोल, जिला बारां
2. चतुर्भुज पुत्र सूरजमल, जाति मीणा, निवासी रायथल, तहसील मांगरोल, जिला बारां मृतक जरिये कायम मुकामान :–
   2/1. छयाना बाई बेवा चतुर्भुज
   2/2. कुणाल कुमार पुत्र चतुर्भुज
   2/3. अमित कुमार पुत्र चतुर्भुज
   जाति मीणा, निवासीगण रायथल, तहसील मांगरोल, जिला बारां
3. भूलीबाई बेवा सूरजमल, जाति मीणा, निवासी रायथल, तहसील मांगरोल, जिला बारां
4. जगन्नाथ आत्मज मूलीलाल जी, जाति मीणा, निवासी रायथल, तहसील मांगरोल, जिला बारां मृतक जरिये कायम मुकामान :–
   4/1. रामेश्वर आत्मज जगन्नाथ, जाति मीणा, निवासी रायथल, तहसील मांगरोल,

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

जिला बारां मृतक जरिये कायम मुकामान :–

4/1/1. मोहर बाई पत्नी रामेश्वर

4/1/2. पप्पू उर्फ ओम प्रकाश पुत्र रामेश्वर

4/1/3. जुगराज आत्मज रामेश्वर

जाति मीणा, निवासी रायथल, तहसील मांगरोल, जिला बारां

5. किशनलाल पुत्र मूलीलाल, जाति मीणा, निवासी राजपुरा, तहसील बारां, जिला बारां

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मांगरोल, जिला बारां

..... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री रामस्वरूप श्रृंगी अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री मुकेश मीणा अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक :31.10.2025**

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या – 12/2008 व प्रकरण संख्या – 24/1990 निर्णय व डिक्री दिनांक 22.10.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92, 188, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि अपील संख्या 194/1990 में ग्राम रायथल, तहसील मांगरोल में जमाबंदी संवत 2012–15 के अनुसार कान्ही बेवा रामनाथ 1/2, सूरजमल वल्द केशवलाल 1/6, पन्नालाल मूलीलाल 1/6, बलदेव, हरदेव, हीरा 1/6 के खाते में आराजी खसरा नं. 223 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नं. 470 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नं. 303/505/506 रकबा 1 बीघा, खसरा नं. 303/505/506 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नं. 198/506 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नं. 510 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नं. 513 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नं. 514 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नं. 2049/698 रकबा 16 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं. 784 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं. 768 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नं. 2740/924/927 रकबा 29 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं. 967 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नं. 960 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नं. 2167/1170 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नं. 1171 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं. 2769/1227 रकबा 24 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नं. 1518 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं. 2294/1524 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नं. 1531 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा कुल 20 किता 98 बीघा 12 बिस्वा स्थित है तथा अपील संख्या 12/2008 में ग्राम रायथल,

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

तहसील मांगरोल के माल में आराजियात खसरा नं. 705 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं. 724 रकबा 14 बिस्वा स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 22.10.2018 से प्रकरण संख्या 12/2008 बउनवान बनवारीलाल बनाम जगन्नाथ वगै0 अन्तर्गत धारा 88, 188, 183 आर.टी.एक्ट खारिज किया व प्रकरण संख्या 24/1990 बउनवानी पीरूलाल वगै0 बनाम बनवारीलाल वगै0 अन्तर्गत धारा 88, 89, 92, 188 आर.टी. एक्ट स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील संख्या 2019/89 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी न्याय एवं संचिका में सिद्धी प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद सं. 12/2008 धारा 88, 188, 183 आर.टी.एक्ट डिकी न कर खारिज करने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्येक तनकीवार तनकियों का निर्णय नहीं किया है और तनकियां शामिल करते हुए निर्णय पारित किया है, जो अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई गौर नहीं फरमाया कि विवादित भूमि के खातेदार चम्पालाल जी थे। चम्पालाल को उक्त भूमि रामनाथ व काम्ही की मृत्यु के बाद बहैसियत वारिस प्राप्त हुई है। चम्पालाल ने अपने जीवनकाल में एक वसीयत प्रतिवादी अपीलांट के हक में दिनांक 17.05.1979 को आलेखित की। चम्पालाल का देहान्त वर्ष 1980 में हो गया। उक्त वसीयत के आधार पर चम्पालाल की मृत्यु के बाद उक्त भूमि वादी अपीलांट के खाते नियमानुसार ग्राम पंचायत रायथल द्वारा इंतकाल नं. 265 तस्दीक कर दर्ज की गई तथा राजस्व रिकार्ड में अपीलांट का नाम बतौर खातेदार दर्ज हुआ जो विधि सम्मत था जिसकी जानकारी रेस्पोडेंट को प्रारम्भ से ही थी तथा रेस्पोडेंट का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा किन्तु इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलांट का वाद स्वीकार न कर खारिज करने में त्रुटि की है। विवादित भूमि पर वादी अपीलांट का कब्जा सन् 1980 से लगातार चला आ रहा था तथा कडता लगान आदि भी वादी ही जमा करता चला आ रहा है किन्तु प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट द्वारा वादी अपीलांट के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करने पर प्रतिवादीगण अनाधिकार कानून हाथ में लेकर वादी का उक्त आराजी कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करने पर वाद पेश किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड व कडता लगान की रसीदों आदि पर गौर किये बिना ही सरसरी तौर पर दावा वादी डिक्री न कर खारिज करने में त्रुटि की है। विवादित भूमि के बाबत जब भी इंतकाल तस्दीक हुए है रेस्पोडेंट को व उनके पूर्वजों को पूर्ण जानकारी थी व है और उसके खिलाफ कभी भी आपत्ति व ऐतराज नहीं किया गया और न उनके विरूद्ध अपीले पेश की गई और न सिविल न्यायालय से वसीयत को निरस्त किया गया इसके बावजूद भी रेस्पोडेंट ने अपने वाद के माध्यम से सभी इंतकाल को व वसीयत को प्रभावशून्य मानते हुए वादी का वाद खारिज करने में त्रुटि की है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 22.10.2018 निरस्त किया जावे तथा

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

वादी अपीलांट का वाद सं. 12/08 डिक्री किया जाकर विवादित भूमि से रेस्पोडेंट को बेदखल किये जाने व अपीलांट के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा न करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में निर्णय दिनांक 22.10.2018 के पूर्व की स्थिति कायम किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

अपील संख्या 2019/90 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्याय एवं संचिका में सिद्धी प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद डिक्री कर प्रतिवादी का काउंटर क्लेम खारिज करने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नं. 1, 2, 6 व 11 अपीलांट के विरूद्ध एवं तनकी नं. 3, 4 व 5 का निर्णय रेस्पोडेंट पीरूलाल के पक्ष में तथा तनकी नं. 7, 8, 9 का निर्णय प्रतिवादी पीरूलाल के पक्ष में तथा तनकी नं. 10 व 12 का निर्णय अपीलांट के विरूद्ध निर्णित करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई गौर नहीं फरमाया कि विवादित भूमि में रामनाथ व कानी बाई का 1/2 हिस्सा था उनकी मृत्यु के बाद उनके 1/2 हिस्से की भूमि चम्पालाल पुत्र रामनाथ के खाते दर्ज हुई। चम्पालाल ने अपने जीवनकाल में एक वसीयत प्रतिवादी अपीलांट के हक में दिनांक 17.05.1979 को आलेखित की। चम्पालाल का देहान्त वर्ष 1980 में हो गया जिसके आधार पर चम्पालाल की मृत्यु के बाद उक्त भूमि वादी अपीलांट के खाते नियमानुसार ग्राम पंचायत रायथल द्वारा इंतकाल तस्दीक कर दर्ज की गई जो विधि सम्मत था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवैध मानकर अपीलांट के काउंटर क्लेम को खारिज करते हुए दावा वादीगण रेस्पोडेंट डिक्री करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया कि विवादित भूमि में 1/2 हिस्से की पूर्व खातेदार कान्ही बाई थी। कान्हीं बाई के कोई औलाद नहीं होने से रामनाथ के खाते भूमि दर्ज हुई। रामनाथ की पहली पत्नी का देहावसान हो जाने के बाद उसने दूसरा विवाह किया। रामनाथ लाऔलांद था और रामनाथ की मृत्यु के बाद दूसरी पत्नी के साथ आये चम्पालाल के नाम भूमि दर्ज हो गई। इस कारण उसने अपीलांट वादी बनवारीलाल के नाम उसके हिस्से की भूमि की वसीयत कर दी, जो विधि सम्मत सही है। किन्तु इसके बावजूद भी उक्त भूमि के इन्तकाल व वसीयत के इंतकाल को सही नहीं मानकर अपीलांट का काउंटर क्लेम खारिज कर दावा वादीगण डिक्री करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी अपीलांट ने कथन किया कि विवादित भूमि में अपीलांट प्रतिवादी 1/2 हिस्से का खातेदार है। प्रतिवादी अपीलांट अपने हिस्सेदारी की भूमि पर वर्ष 1980 से लगातार काबिज काश्त चला आ रहा है और कडता लगान जमा कराता आ रहा है और रेस्पोडेंट को विवादित भूमि के बाबत कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है इसके बावजूद भी रेस्पोडेंट का हक मानते हुए अपीलांट की खातेदारी की भूमि को रेस्पोडेंट के नाम खाते दर्ज कर खातेदारी की घोषणा का वाद डिक्री करने में त्रुटि की है।

अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया कि विवादित भूमि के बाबत जब जब भी इंतकाल तस्दीक हुए है रेस्पोडेंट को व उनके पूर्वजों को पूर्ण जानकारी

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

थी व है और उसके खिलाफ कभी भी आपत्ति व ऐतराज नहीं किया गया और न उनके विरूद्ध अपीले पेश की गई और न सिविल न्यायालय से वसीयत को निरस्त कराया गया इसके बावजूद भी रेस्पोडेंट ने अपने वाद के माध्यम से सभी इंतकाल को व वसीयत को प्रभावशून्य घोषित करते हुए खातेदारी की घोषणा चाही जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर वादीगण रेस्पोडेंट का दावा स्वीकार कर अपीलांट का काउंटर क्लेम खारिज करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है वह विधि के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है और उक्त निर्णय अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय को बिना अपील पेश हुए इंतकाल को शून्य करार देने व वसीयत को सिविल न्यायालय से निरस्त किये बिना उसको अवैध करार देने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त होने योग्य है। वादी रेस्पोडेंट का विवादित भूमि पर कोई कब्जा नहीं था और न विवादित भूमि में किसी प्रकार का हक व अधिकार था इसके बावजूद भी अपीलांट के खाते दर्ज भूमि को वादीगण के खाते दर्ज करने का निर्णय व डिक्री पारित करने में त्रुटि की है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.10.2018 निरस्त किया जावे तथा रेस्पोडेंट का वाद सं. 24/90 खारिज करते हुए काउंटर क्लेम स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि से रेस्पोडेंट को बेदखल किये जाने व अपीलांट के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा न करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में निर्णय दिनांक 22.10.2018 के पूर्व की स्थिति कायम किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 28.01.2019 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दोनों अपीलों के साथ आदेश 41 नियम 27 व्यवहार प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश किया, पेश किये गये दस्तावेज राजकीय दस्तावेज होने के कारण रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस लिखित बहस एवं अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में अंकित किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वाद, जवाब दावा व काउन्टर क्लेम के आधार पर कुल 13 तनकीयात कायम की। वादी की ओर से चार गवाह एंवम् 53 दस्तावेजात पेश किये गये तथा प्रतिवादी पीरूलाल व अन्य की ओर से 5 गवाह एवम् दस्तावेजात पेश किये। दोनों पक्षों की बहस सुन कर सरसरी तोर पर वादी का वाद निर्णय व डिक्री दिनाक

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

22–10–2018 से खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलान्ट वादी ने यह अपील पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई गौर नहीं फरमाया कि विवादित भूमि के खातेदार चम्पा लाल जी थे चम्पा लाल को उक्त भूमि रामनाथ व कान्ही की मृत्यु के बाद बहैसियत वारिस प्राप्त हुई है। चम्पा लाल जी ने अपने जीवनकाल में एक वसीयत वादी अपीलान्ट के हक में दिनांक 17–5–1979 को आलेखित की । चम्पालाल का देहान्त वर्ष 1980 में हो गया। उक्त वसीयत के आधार पर चम्पालाल जी की मृत्यु के बाद उक्त भूमि बादी अपीलान्ट के खाते नियमानुसार ग्राम पंचायत रायथल द्वारा इन्तकाल न0 265 तस्दीक कर दर्ज की गयी तथा राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट का नाम बतोर खातेदार दर्ज हुआ जो विधि सम्मत था । जिसकी जानकारी रेस्पो० को प्रारम्भ से ही थी। तथा रेस्पो० का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा किन्तु इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलान्ट का वाद स्वीकार न कर खारिज करने में त्रुटि की है। विवादित भूमि पर वादी अपीलान्ट का कब्जा सन् 1980 से लगातार चला आ रहा था तथा कडता लगान आदि भी वादी ही जमा करता चला आ रहा है किन्तु प्रतिवादीगण रेस्पो० द्वारा वादी अपीलान्ट के कब्जे काश्त में व्यधान पैदा करने पर प्रतिवादीगण अनाधिकार कानून हाथ में लेकर वादी का उक्त आराजी कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करने पर वाद पेश किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड व कडता लगान की रसीदों आदि पर गोर किये बिना ही सरसरी तोर पर दावा वादी डिक्री न कर खारिज करने में त्रुटि की है। विवादित भूमि के बाबत जब जब भी इतकाल तस्दीक हुये है रेस्पो० को व उनके पूर्वजों को पूर्ण जानकारी थी व है और उसके खिलाफ कभी भी आपत्ति व एतराज नहीं किया गया और न उनके विरूद्ध अपीले पेश की गयी ओर न सिविल न्यायालय से वसीयत को निरस्त किया गया इसके बावजूद भी रेल्वे ने अपने वाद के माध्यम से सभी इतकाल को व वसीयत को प्रभावशून्य मानते हुये वादी का वाद बारिज करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपीलान्ट को आने हेतु मना कर रखा था किन्तु अपीलान्ट के वकील साहब भी प्रकरण में उपस्थित नहीं हो सके और अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों दावों का निर्णय अपीलान्ट की अनुपस्थिती में दिनांक 22–10–18 को पारित किया गया जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं हुई। उक्त निर्णय वी की सर्वप्रथम जानकारी बुद्धि प्रकाश निवासी रायथल के कहने पर कि उसका दावा व काउन्टर क्लेम खारिज हो गया है इस पर अपीलान्ट दिनांक 28–1–2019 को अधीनस्थ न्यायालय में जो वकील साहब से जानकारी कर नकल हेतु आवेदन पत्र पेशकिया जो उसी दिन प्राप्त हो गयी । नकल लेकर अपील के लिये रूपयो का इंतजाम कर कोटा आर वकील साहब से सम्पर्क कर अविलम्ब यह अपील दिनांक 22–10–2018 से 28–1–2019 तक की अवधि को कन्डौन किये जाने पर अवधि मध्य पेश की गयी जिसे माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार कर सुनवायी हेतु रखी गयी। अतः अपीलान्ट की ओर से लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी मांगरोल द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22–10–2018 निरस्त किया जावे तपा वादी अपीलान्ट का दावा नं0

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

12608 डिक्री किया जाकर विवादित भूमि से रेस्पो० को बेदखल किये जाने व अपीलान्ट के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा न करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। तथा राजस्व रिकार्ड में निर्णय दिनांक 22–10–18 के पूर्व की स्थिती कायम किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे। खर्चा अपील व अन्य न्यायोचित सहायता भी अपीलान्ट को सादिर फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में अंकित किया कि अपीलांट ने माननीय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकरी, मांगरोल, जिला बांरा के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 183 बाबत कब्जा प्राप्त करने का प्रस्तुत किया तथा बाद में उक्त वाद में संशोधन कराकर धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया एवं यह निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 705 व 725 की भूमि खातेदार चम्पा लाल जी की थी जिनका देहांत 1980 में हो गया। चम्पा लाल जी ने अपने जीवनकाल में ही उपरोक्त आराजी 705 व 725 की 27 बीघा 5 बिस्वा को वसीयत दिनांक 17–5–1979 के आधार पर खातेदारी में दर्ज करवाने का वाद पेश किया। जो वाद संख्या 12/2008 दर्ज हुआ। जिस पर वादी व प्रतिवादीगण के साक्ष्य रिकॉर्ड करने के पश्चात माननीय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल, जिला बांरा ने अपीलांट का वाद निर्णय व डिक्री दिनांक 22–10–2018 के आधार पर खारिज फरमा दिया गया। रेस्पो० ने माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्राम रायथल, तहसील मांगरोल की जमाबंदी संवत 2012 से 2015 जो रिकॉर्ड के अनुसार कान्ही बेवा रामनाथ 1/2, सूरजमल वल्द केशोलाल 1/6, पन्ना लाल, मूलीलाल 1/6, बलदेव आत्मज हीरा 1/6 के खाते में आराजी खसरा नम्बर 223 की रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 470 की रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 2049/668 की रकबा 16 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 303/505/506 की रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 510 की रकबा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 513 की रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 514 की रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 2049/698 की रकबा 16 बीघा 12 बिस्वा. खसरा नम्बर 764 की रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 768 की रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 2740/924/927 की रकबा 29 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 967 की रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 960 की रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 2167/1170 की रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 1171 की रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 2789/1227 की रकबा 24 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 1518 की रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 2294/1524 की रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 1531 की रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 20 की कुल रकबा 98 बीघा 12 बिस्वा आराजी स्थित चली आ रही है। उक्त सम्पत्ति रामनाथ, मूली लाल व केशव लाल की आराजी थी, रामनाथ लाऔलाद फौत हुआ था, रामनाथ ने अपने जीवनकाल में ही कान्ही बाई को नाते रखा था, कान्ही बाई अपने साथ एक गेलड पुत्र चम्पा लाल को साथ लेकर आई थी, चम्पा लाल रामनाथ का विधिक वारिस व उत्तराधिकारी नहीं था। चम्पा लाल का रामनाथ की सम्पत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। परंतु उसके बावजूद भी कान्ही बाई

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

का 1/2 हिस्सा 98 बीघा 12 बिस्वा आराजी में स्थित था, परंतु उससे अधिक जमीन चम्पा लाल ने दौराने सेटलमेंट अपने आपको रामनाथ व कान्हीं का पुत्र बताकर नामांतरण संख्या 72 स्वयं को समस्त आराजी का खातेदार दर्ज करा लिया जो जामबंदी संवत 2014 से 2023 की खतौनी सेटलमेंट से स्पष्ट है। उक्त नामांतरण संख्या 72 से संपूर्ण 98 बीघा 12 बिस्वा भूमि मृतक रामनाथ का विधिक वारिसान दर्ज न होने के बावजूद भी खातेंदारी में दर्ज करवा ली। जिसे अवैध घोषित करवाने के लिए रेस्पो० के पूर्वजों ने चेलेंज किया जिसे भू प्रबंध अधिकारी ने दिनांक 25–01–1959 को खारिज फरमा दिया गया। चम्पा लाल के द्वारा संपूर्ण आराजी खाते में दर्ज होने पर रेस्पो० के विरूद्ध बेदखल का वाद आराजी 49 बीघा 10 बिस्वा से रेस्पो० को बेदखल करने का वाद पेश किया जो भी खारिज हो चुका है एवं उक्त आदेश के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा व माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तत अपील आदेश दिनांक 08–02–1967 व दिनांक 14–10–1971 भी खारिज की जा चुकी है। अपीलांट के पिता चम्पा लाल ने नामांतरण संख्या 194 के आधार पर सन 1977 को स्वीकृत कराकर 47 बीघा 15 बिस्वा भूमि राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित कर दी और उक्त कार्यवाही के पश्चात खसरा नम्बर 705 की रकबा 26 बीघा, खसरा नम्बर 724 की रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 734 की रकबा 6 बिस्वा कुल 27 बीघा 5 बिस्वा आराजी मात्र चम्पा लाल जी खातेदारी में दर्ज रही। इस प्रकार चम्पा लाल ने नामांतरण संख्या 194 एवं नामांमरण संख्या 177 एवं नामांतरण संख्या 193 के आधार पर 71 बीघा 15 बिस्वा भूमि राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण/सीलिंग में अधिग्रहित करवा चुका है। जो मृतक कान्ही बाई के 1/2 हिस्से भी अधिक है। चूंकि चम्पालाल, रामनाथ का विधिक पुत्र ही नहीं है एव न ही उसके उक्त सम्पत्ति को राज्य सरकार को समर्पित करने का कोई अधिकार प्राप्त था। अन्यथा भी चम्पा लाल ने अपने 1/2 हिस्से से अधिक का समपर्ण किया है, जिसे करने का कोई अधिकार ही प्राप्त नहीं था। चूंकि चम्पा लाल गेलड पुत्र था इसलिए चम्पा लाल ने जो नामांतरण संपूर्ण आराजी 98 बीघा 12 बिस्वा का दर्ज करवाया है वह अवैधानिक है, गलत है व शून्य है। चूंकि उक्त सम्पत्ति में रेस्पो० को भी हक व अधिकार प्राप्त था। इंतकाल नंबर 72 चम्पा लाल के पक्ष में गलत दर्ज हुआ है जिसका अनुचित लाभ उठाते हुए चम्पा लाल ने राज्य सरकार को 71 बीघा 15 बिस्वा भूमि समर्पित/सीलिंग में अधिग्रहित करवा ली तथ शेष बची 27 बीघा 5 बिस्वा आराजी अपनी खातेदारी में दर्ज करवा ली। रेस्पो० ने माननीय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल, जिला बांरा के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88, 188 आर टी एक्ट का प्रकरण संख्या 24/1990 प्रस्तुत किया उक्त वाद में रेस्पो०/वादीगण ने माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष संपूर्ण दस्तावेज एवं जमाबंदियां एवं निर्णय की प्रतियां पेश की। जिसके आधार पर माननीय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के द्वारा अपीलांट बनवारी के वाद को खारिज कर दिया एवं रेस्पो० वादीगण पीरू लाल के वाद को वाद संख्या 24/1990 को दावा डिक्री कर दिया। उक्त दोनों निर्णयों से पीड़ित होकर यह अपीलें माननीय न्यायालय में पेश की थी।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने संपूर्ण निर्णय दिनांक 22–10–2018 में यह स्पष्ट रूप से यह फाइडिंग दी है कि वाद वर्णित आराजी 27 बीघा 5 बिस्वा आराजी गलत रूप से जरिए वसीयत बनवारी की खातेदारी मे दर्ज हुई है। चूंकि चम्पा लाल जी को उक्त आराजी के वर्तमान खसरा नम्बर 888 की रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 30 की रकबा 1.32 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1494 की रकबा 2.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1521 की रकबा 0.38 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1426 की रकबा 0.10 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1439 की रकबा 0. 40 हैक्टेयर आराजी जो ग्राम रायथल, तहसील मांगरोल, जिला बांरा में स्थित चली आ रही है। उपरोक्त आराजी की वसीयत करने का चम्पा लाल को कोई अधिकार ही प्राप्त नहीं था। चूंकि चम्पा लाल उक्त सम्पत्ति का मालिक ही नही था। चम्पा लाल, कान्हीं बाई के साथ अन्य पति का गेलड पुत्र था। इसलिए उक्त आराजी में चम्पा लाल का कोई अधिकार ही प्राप्त नहीं है। जब चम्पा लाल को कोई अधिकार ही प्राप्त नहीं है। तो चम्पा लाल द्वारा की गई वसीयत से बनवारी लाल को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इस सम्बंध में माननीय राजस्व मण्डल में आरआरडी 2005 पेज नम्बर 160 में यह व्यवस्था दी है कि धर्मज पुत्र एवं गेलड पुत्र से यह स्पष्ट है कि पूर्व पति का वह पुत्र जो पत्नी अपने साथ लेकर आई हो के अधिकारों में अंतर स्पष्ट है। इसलिए पैत्रक सम्पत्ति में गेलड पुत्र को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इस सम्बंध में 2005 (1) आर.एल.डब्ल्यू राजस्थान पेज नम्बर 503, आर.आर.टी 2005 (1) पेज नम्बर 145 में यह स्पष्ट किया है कि गेलड पुत्र को पैत्रक सम्पत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अपील में वर्णित आराजी में स्वयं अपीलांट ने अपनी अपील बनवारी बनाम पीरू लाल में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि अपील संख्या के पेज नम्बर 5 की मद नम्बर 5 में यह स्पष्ट है कि रामनाथ ला ओलाद था, रामनाथ की दूसरी पत्नी के साथ आए चम्पा लाल के नाम भूमि दर्ज हो गई है। उपरोक्त स्वीकृति से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि चम्पा लाल स्व. रामनाथ का विधिक पुत्र नहीं है। अर्थात गेलड पुत्र है। इसलिए स्वर्गीय रामनाथ की सम्पत्ति में चम्पा लाल का कोई अधिकार ही नहीं है। इसलिए 27 बीघा 5 बिस्वा आराजी जो वसीयत के आधार पर बनवारी लाल के खाते मे दर्ज हुई वह गलत दर्ज हुई है। बनवारी लाल ने अपनी साक्ष्य में स्वयं की तथा वसीयत के दो गवाहों के बयान भी दर्ज करवाए हैं। इसके पश्चात माननीय अधीनस्थ न्यायालय नांगरोल ने अपने निर्णय में यह फाइडिंग दी है कि चम्पा लाल, रामनाथ का विधिक पुत्र नहीं था वह गेलढ़ पुत्र था. इसलिए चम्पा लाल को उक्त रामनाथ की सम्पत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। चम्पा लाल के पक्ष में जो नामांतरण दर्ज हुआ है वह गलत दर्ज हुआ है तथा चम्पा लाल ने अवैधानिक रूप से 27 बीघा 5 बिस्वा आराजी का जो नामांतरण दर्ज हुआ है वह अवैध है एवं सून्य है। इसलिए वसीयत दिनांक 17–5–1979 शून्य है। चूंकि चम्पालाल को वादी बनवारी लाल के पक्ष में वसीयत करने का कोई अधिकार ही प्राप्त नहीं था, इसलिए माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व व डिक्री दिनांक 22–10–2018 के आधार पर बनवारी के वाद को खारिज कर दिया एवं रेस्स्पो०ध्वादीगण के बाद को डिक्री कर दिया एवं वसीयत दिनांक 17–5–1979 को अवैध

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

प्रभावशून्य घोषित कर दिया। इसलिए अपीलांट की दोनों अपीले खारिज की जाये और माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व विक्री यथावत रखी जावे। अधीनस्थ न्यायालय मांगरोल ने अपने निर्णय में रेस्पो०/वादीगण का कब्जा सन 1955 से ही माना है तथा वर्तमान में भी कबिज काश्त है क्योंकि रेस्पो०/वादीगण ने कब्जे के सम्बंध में पूर्व के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय कर्ता पिलाई की रसीदें एवं अन्य दस्तावेज पेश किए है। जिनके आधार पर माननीय अधीनस्थ न्यायालय मांगरोल ने आराजी 4.21 हैक्टेयर पर बनवारी लाल को काबिज नहीं गाना है। जबकि पीरू लाल, रेस्पो०/वादीगण का कब्जा काश्त माना है तथा संपूर्ण साक्ष्य व रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद ही निर्णय व विक्री दिनांक 22–10–2018 पारित की है जिसमें अपीलांट बनवारी लाल के बाद को खारिज किया है एवं रेस्पो०/वादीगण पीरू लाल व अन्य के बाद को डिक्री किया है और आराजी खसरा नम्बर 888 की रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 30 की रकबा 1.32 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1494 की रकबा 2.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1521 की रकबा 0.38 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1426 की रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1439 की रकबा 0.40 हैक्टेयर आराजी जो ग्राम रायथल तहसील मांगरोल, जिला बांरा को रेस्पो०/वादीगण की खातेदारी में दर्ज करने का निर्णय व डिक्री पारित किया है जो विधि सम्मत है। जिसमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने अपना अधिवक्ता नियुक्त कर रखा था, अधिवक्त ने अपीलांट का जवाब दावा प्रस्तुत करवाया एवं साक्ष्य पेश की और निरंतर रूप से न्यायालय में उपस्थित रहे परंतु प्रकरण में निर्णय के समय जानबूझकर माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। जिससे माननीय अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त निर्णय एक तरफा पारित किया गया है। जबकि अपीलांट बनवारी लाल ने अपना अधिवक्ता नियुक्त कर रखा था। अपीलांट ने उक्त अपील को अवधि बाधित पेश किया है जबकि अपीलांट ने माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना अधिवक्ता नियुक्त कर रखा था जिसे संपूर्ण निर्णय व डिक्री की जानकारी थी अपीलांट ने जानबूझकर निर्णय व डिक्री की अपील पेश नहीं की। जबकि उक्त निर्णय डिकी दिनांक 22–10–2018 की पूर्ण रूप से जानकारी थी। जानकारी होने के बावजूद भी समयावधि में पेश नहीं है और अपील में झूठा ग्राउण्ड लिया है और यह कथन किया है कि अपीलांट को उक्त निर्णय व डिकी की पूर्व में कभी कोई जानकारी नही रही है। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपीलांट को आने के लिए मना कर रखा था, इसलिए माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। इसलिए उक्त निर्णय व डिकी की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 28–1–2019 को बुद्धिप्रकाश निवासी रायथल के द्वारा कहने पर हुई है। जिसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त की गई एवं दिनांक 28–1–2019 को अपील पेश की गई है। साथ ही स्वयं को बीमार होने का आधार पर बताया एंव खेतीबाडी में व्यस्त होने का भी आधार बताया। यहां रेस्पो०/वादीगण का माननीय न्यायालय से निवेदन है कि अपीलांट ने बीमारी का एवं खेतीबाडी में व्यस्त होने का झूठा ग्राउण्ड तैयार किया है जिससे अपील को मियाद में लाया जा सके। अपीलांट कब कब बीमार रहा एवं कब–कब खेतीबाडी में व्यस्त रहा उस तारीख

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

का प्रार्थना पत्र में उल्लेख नहीं किया है। इस आधार पर भी अपीलांट की अपील खारिज किए जाने योग्य है। साथ ही रेस्पो०/वादीगण का यह भी निवेदन है कि अपीलांट ने माननीय अधनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना अधिवक्ता नियुक्त कर रखा था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक निर्णय में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है तो यदि पक्षकारों के द्वारा अपना अधिवक्ता नियुक्त कर रखा है और पक्षकारों के द्वारा प्रकरण की पैरवी अधिवक्ता द्वारा की जा रही है तो पक्षकारों का यह नैतिक दायित्व है कि वह समय–समय पर अपने अधिवक्ता से मिले एवं अपने कर्तव्यों की पालना करे। इस आधार पर की अधिवक्ता ने पक्षकार को सूचना नहीं दी इस आधार पर लिमिटेशन के ग्राउण्ड व अपनी जिम्मेदारी से पक्षकार विमुख नहीं हो सकता है। इस आधार पर भी अपीलांट की अपील अवधि बाधित होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है। अतः लिखित बहस एवं न्यायिक निर्णय को रिकॉर्ड पर लेकर अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें खारिज की जावे एवं माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22–10–2018 को यथावत रखे जाने के आदेश प्रदान करें।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दोनों अपीलों के साथ आदेश 41 नियम 27 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के दस्तावेज की प्रमाणित प्रति पेश की है। पेश किये गये दस्तावेज राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रति है। अतः न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय में विवादित आराजी के सन्दर्भ में अपीलांट एवं रेस्पोडेंटगण द्वारा दो दावे पेश किये गये। अपीलांट बनवारीलाल द्वारा अन्तर्गत धारा 88, 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बउवान बनवारीलाल बनाम जगन्नाथ एवं वगैरह प्रकरण सं. 12/2008 तथा रेस्पोडेंट पीरूलाल एवं अन्य द्वारा अन्तर्गत धारा 88, 89, 92, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बउनवानी पीरूलाल एवं वगैरह बनाम बनवारीलाल एवं वगैरह प्रकरण सं. 24/1990,

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन दोनों प्रकरणों को समेकित करते हुए बाद सुनवाई उभयपक्ष अपने निर्णय दिनांक 22.10.2018 से प्रकरण सं. 12/2008 बउनवानी बनवारीलाल बनाम जगन्नाथ एवं वगैरह अन्तर्गत धारा 88, 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया गया तथा प्रकरण सं. 24/1990 बउनवानी पीरूलाल एवं अन्य बनाम बनवारीलाल एवं वगैरह अन्तर्गत धारा 88, 89, 92, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार कर आराजी खसरा नं. 888 रकबा 0.20 हेक्टर, खसरा नं. 1520 रकबा 1.32 हेक्टर, खसरा नं. 1494 रकबा 2.17 हेक्टर, खसरा नं. 1521 रकबा 0.38 हेक्टर, खसरा नं. 1426 रकबा 0.10 हेक्टर, खसरा नं. 1439 रकबा 0.04 हेक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 4.21 हेक्टर विवादित आराजी वाके ग्राम रायथल, तहसील मांगरोल से बनवारीलाल पुत्र रामकरण की खातेदारी खारिज कर वादीगण पीरूलाल वगैरहा को खातेदार घोषित करते हुए प्रतिवादी बनवारीलाल को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है कि खातेदार पीरूलाल वगैरह के खाते में दर्ज आराजी पर दखल अन्दाजी ना करें।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलांट बनवारीलाल ने दो अपीले अपील संख्या 2019/89 एवं अपील संख्या 2019/90 पेश कर विवादित आराजी पर अपने विधिक अधिकार के संबंध में विरोधाभासी कथन अंकित किये हैं। अपीलांट बनवारीलाल ने प्रकरण सं. 12/2008 के सन्दर्भ में प्रस्तुत अपील सं. 2019/89 में अंकित किया है कि विवादित भूमि के खातेदार चम्पालाल जी थे। चम्पा लाल को उक्त भूमि रामनाथ व कान्ही की मृत्यु के बाद बहैसियत वारिस प्राप्त हुई है। चम्पालाल जी ने अपने जीवनकाल में एक वसीयत वादी अपीलांट के हक में दिनांक 17.05.1979 को आलेखित की। चम्पालाल का देहान्त वर्ष 1980 में हो गया। उक्त वसीयत के आधार पर चम्पालाल जी की मृत्यु के बाद उक्त भूमि वादी अपीलांट के खाते नियमानुसार ग्राम पंचायत रायथल द्वारा इतकाल नं. 265 तस्दीक कर दर्ज की गयी तथा राजस्व रेकार्ड में अपीलांट का नाम बतौर खातेदार दर्ज हुआ जो विधि सम्मत है।

अपीलांट बनवारीलाल ने प्रकरण सं. 24/1990 के सन्दर्भ में प्रस्तुत अपील सं. 2019/90 में अंकित किया है कि विवादित भूमि में 1/2 हिस्से की पूर्व खातेदार कान्ही बाई थी। कान्हीं बाई के कोई औलाद नहीं होने से रामनाथ के खाते भूमि दर्ज हुई। रामनाथ की पहली पत्नी का देहावसान हो जाने के बाद उसने दूसरा विवाह किया। रामनाथ लाऔलाद था और रामनाथ की मृत्यु के बाद दूसरी पत्नी के साथ आये चम्पालाल के नाम भूमि दर्ज हो गयी। इसी कारण उसने अपीलांट वादी बनवारीलाल के नाम उसके हिस्से की भूमि की वसीयत कर दी। जो विधि सम्मत सही है। अपीलांट के उक्त कथन से यह स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है कि चम्पालाल रामनाथ की दूसरी पत्नी के साथ आया गैलड पुत्र था जिसे रामनाथ का विधिक वारिस नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट नहीं होता कि रामनाथ ने चम्पालाल को गोद लिया था।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

रेस्पोडेंटगण द्वारा भी अपनी लिखित बहस में मुख्य रूप से यह अंकित किया है कि विवादित आराजी रामनाथ, मूलीलाल व केशवलाल की आराजी थी। रामनाथ लाऔलाद फौत हुआ था। रामनाथ ने अपने जीवनकाल में ही कन्हीबाई को नाते रखा था। कन्ही बाई अपने साथ एक गैलड पुत्र चम्पालाल को साथ लेकर आयी थी। चम्पालाल रामनाथ का विधिक वारिस व उत्तराधिकारी नहीं था। रेस्पोडेंटगण के उक्त कथन की पुष्टि स्वयं अपीलांट द्वारा अपील सं. 2019/90 में अंकित कथन से होती है।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा आर्डर 41 नियम 27 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 212/99/बारां एवं अपील संख्या 213/99/बारां में पारित निर्णय दिनांक 01.10.99 की प्रमाणित प्रति पेश की है जिसमें न्यायालय हाजा ने अपने उक्त निर्णय में अंकित किया है कि ग्राम रायथल की आराजी खसरा नं. 223, 470, 303/506/506, 503/505/506, 198/506, 510, 513, 514, 2049/698, 764, 768, 2740/924/927, 967, 960, 2167/1170, 1171, 1518, 2769/1227, 2294/1524, 1531 कुल 20 किता रकबा 98 बीघा 12 बिस्वा आराजी कान्ही बेवा रामनाथ हिस्सा 1/2, सूरजमल वल्द केशवलाल हिस्सा 1/6, पन्नालाल, मूलीलाल हिस्सा 1/6, बलदेव, हरदेव व हीरा हिस्सा 1/6 संवत 2012 लगायत 15 की जमाबंदी के अनुसार दर्ज थी। कान्ही बाई मृतक पति रामनाथ से कोई संतान नहीं थी उसके पूर्व पति से चम्पालाल एक पुत्र था जो कानी का गैलड था। सूरजमल के वारिसान भूली बाई विधवा व पीरू लाल तथा चतुर्भुज है। पन्नालाल का पुत्र किशनलाल है। मूलीलाल मृतक का वारिस जगन्नाथ है। बलदेव, हरदेव व हीरा की 40 वर्ष पूर्व गांव छोडकर चले गये जिनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। इस प्रकार उक्त भूमि में कान्ही बाई का 1/2 हिस्सा, सूरजमल के वारिसान पीरू लाल, चतुर्भुज का 1/2 हिस्सा जगन्नाथ का 1/2 हिस्सा तथा किशनलाल का 1/12 व बलदेव, हरदेव व हीरा का 1/6 हिस्सा था। दौराने सैटलमेंट चम्पालाल ने अपने आपको मृतक रामनाथ व कान्ही का पुत्र बताकर कान्ही के 1/2 हिस्से के स्थान पर नामान्तरकरण सं. 72 दिनांक 25.01.59 से स्वयं को समस्त आराजी का खातेदार दर्ज करा लिया गया तथा संवत 2014 लगायत 23 की खतौनी सैटलमेंट के अनुसार खसरा नं. 32, 395, 605, 606, 607, 609, 615, 616, 624, 660, 678, 682, 705, 724, 730, 734, 744, 859, 1202, 1214, 1761, व 1764 रकबा 99 बीघा का मृतक चम्पालाल खातेदार दर्ज हो गया। मृतक चम्पालाल ने उक्त समस्त आराजी का खातेदार दर्ज होने के कारण सहायक कलेक्टर बारां के समक्ष मिसल नं. 77/63 बउनवानी चम्पालाल बनाम धूलीलाल, सूरजमल, बलदेव, कृष्णा वगैरह के विरूद्ध बेदखली का दावा प्रस्तुत किया जिसमें से 49 बीघा 10 बिस्वा आराजी से धूलीलाल वगैरह को अतिकमी बताकर बेदखली का अनुतोष चाहा गया उक्त दावा आदेश दिनांक 31.12.63 को खारिज कर दिया तथा न्यायालय ने यह माना कि भू प्रबन्ध अधिकारी का आदेश दिनांक 25.01.59 व इंतकाल नं. 72 शेष सहखातेदार की मौजूदगी में पारित नहीं किया है। अतएव चम्पालाल मृतक उसका कोई लाभ नहीं उठा सकता तथा उक्त इन्द्राज

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

का धूली लाल वगैरह पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होता है। मूलीलाल वर्तमान प्रकरण में पक्षकार जगन्नाथ का पिता है तथा सूरजमल रेस्पोडेंट पीरू लाल का पिता है। इस प्रकार उक्त दावे में विवादित आराजी पर रेस्पोडेंट का ही कब्जा माना गया। उक्त आदेश के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा व माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के पास समक्ष प्रस्तुत अपील कमशः आदेश दिनांक 08.02.1967 व 14.10.1971 से खारिज हो गयी। मृतक चम्पा लाल ने इसी दौरान अपने हिस्से की आराजी में से सैटलमेंट के बाद समय खसरा नं. 859 व 678 रकबा 24 बीघा इंतकाल नं. 177 दिनांक 24.01.76 से सीलिंग में अधिग्रहित करवा दी तथा खसरा नं. 32, 395, 606, 605, 607, 609, 615, 616, 624, 660, 682, 705, 744, 1202, 1214, 1761, 1764, 730 कुल 47 बीघा 15 बिस्वा भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित कर दिया जिसका नामान्तरकरण सं. 194 वर्ष 1977 स्वीकृत हो गया। मृतक चम्पा लाल द्वारा उक्त कार्यवाही के बाद खसरा नं. 705 रकबा 26 बीघा, खसरा नं. 724 रकबा 19 बिस्वा, व खसरा नं. 734 रकबा 6 बिस्वा कुल 27 बीघा 5 बिस्वा आराजी मृतक चम्पालाल के खाते रही। राजस्व अभिलेख में चम्पालाल का नाम दर्ज होने के कारण मृतक चम्पालाल के द्वारा निष्पादित वसीयत के आधार पर अपीलांट शेष आराजी 27 बीघा 5 बिस्वा का खातेदार दर्ज हो गया। न्यायालय हाजा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 01.10.99 में अंकित तथ्यों की पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न राजस्व रिकार्ड एवं समय समय पर विवादित आराजी के सन्दर्भ में पारित निर्णयों से होती है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नकल जमाबंदी संवत 2012 से 2015 प्रदर्श ए–1 के अनुसार विवादित आराजी में कानी बेवा रामनाथ का 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। यदि चम्पालाल गैलड पुत्र नहीं था और वह रामनाथ एवं कानी का विधिक उत्तराधिकारी था तो भी वह विवादित आराजी में से 1/2 हिस्से से अधिक आराजी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं था परन्तु नकल खतौनी बन्दोबस्त संवत 2014 से 2023 प्रदर्श ए–2 के अनुसार सम्पूर्ण आराजी चम्पालाल के खाते दर्ज हो गई। अपीलांट ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके कि विवादित आराजी में 1/2 हिस्से के स्थान पर सम्पूर्ण आराजी चम्पालाल के नाम किसी विधिक प्रावधान के तहत एवं किस दस्तावेज के आधार पर दर्ज की गई थी जबकि विवादित आराजी में कानी का 1/2 हिस्सा ही दर्ज रिकार्ड था। चम्पालाल ने सम्पर्ण आराजी उसके नाम दर्ज होने के बाद खसरा नं. 859 रकबा 23 बीघा, खसरा नं. 678 रकबा 1 बीघा कुल 24 बीघा भूमि को सीलिंग में दे दिया जिसका इंतकाल नं. 177 दिनांक 24.01.76 को तस्दीक हुआ। चम्पालाल ने इसके अतिरिक्त कुल 47.15 बीघा आराजी का इस्तीफा देने की वजह से 47.15 बीघा आराजी इंतकाल सं. 194 से सिवाय चक दर्ज हो गई। दौराने सैटलमेंट सम्पूर्ण विवादित आराजी पर चम्पालाल का नाम दर्ज होने का अनुचित लाभ उठाते हुए चम्पालाल ने विवादित आराजी में अपने 1/2 हिस्से से अधिक कुल 71 बीघा 5 बिस्वा आराजी राज्य सरकार को दे देने के कारण उसे शेष विवादित आराजी की वसीयत अपीलांट बनवारीलाल

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

के नाम करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था, इस कारण चम्पालाल द्वारा अपीलांट बनवारीलाल के पक्ष में दिनांक 17.05.1979 को निष्पादित वसीयत के आधार पर बनवारीलाल के पक्ष में खोला गया इंतकाल सं. 265 विधि विरूद्ध होने से इस इंतकाल के आधार पर अपीलांट को शेष विवादित आराजी में कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते। अतः अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं विभिन्न न्यायालयों द्वारा समय समय पर पारित न्यायिक निर्णयों के अवलोकन के पश्चात हम अपील के इस स्तर पर, तकनीकी आधार पर अपीलाधीन निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीले अपील संख्या 2019/00124 (89/2019) एवं 2019/00125 (90/2019) सारहीन होने से खारिज की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.10.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/10/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

अपील संख्या 2019/00124 (89/2019)

बनवारी लाल पुत्र रामकरण, जाति मीणा, निवासी राजपुरा, तहसील बारां, जिला बारां मृतक जरिये कायम मुकामान :–
भूपेन्द्र आत्मज बनवारीलाल, जाति मीणा, निवासी राजपुरा, तहसील बारां, जिला बारां
यशोदा पत्नी बनवारीलाल, जाति मीणा, निवासी राजपुरा, तहसील बारां, जिला बारां

..... अपीलांट

1. जगन्नाथ आत्मज मूलीलाल जी, जाति मीणा, निवासी रायथल, तहसील मांगरोल, जिला बारां मृतक जरिये कायम मुकामान :–

1/1. रामेश्वर आत्मज जगन्नाथ, जाति मीणा, निवासी रायथल, तहसील मांगरोल, जिला बारां मृतक जरिये कायम मुकामान :–

1/1/1. मोहर बाई पत्नी रामेश्वर
1/1/2. पप्पू उर्फ ओम प्रकाश पुत्र रामेश्वर
1/1/3. जुगराज आत्मज रामेश्वर
जाति मीणा, निवासी रायथल, तहसील मांगरोल, जिला बारां

2. पीरूमल आत्मज सूरजमल, जाति मीणा, निवासी रायथल, तहसील मांगरोल, जिला बारां

..... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 2019/00125 (90/2019)

बनवारी लाल पुत्र रामकरण, जाति मीणा, निवासी राजपुरा, तहसील बारां, जिला बारां मृतक जरिये कायम मुकामान :–
भूपेन्द्र आत्मज बनवारीलाल, जाति मीणा, निवासी राजपुरा, तहसील बारां, जिला बारां
यशोदा पत्नी बनवारीलाल, जाति मीणा, निवासी राजपुरा, तहसील बारां, जिला बारा

..... अपीलांट

बनाम

1. पीरूलाल आत्मज सूरजमल, जाति मीणा, निवासी रायथल, तहसील मांगरोल, जिला बारां
2. चतुर्भुज पुत्र सूरजमल, जाति मीणा, निवासी रायथल, तहसील मांगरोल, जिला बारां मृतक जरिये कायम मुकामान :–

2/1. छयाना बाई बेवा चतुर्भुज
2/2. कुणाल कुमार पुत्र चतुर्भुज
2/3. अमित कुमार पुत्र चतुर्भुज
जाति मीणा, निवासीगण रायथल, तहसील मांगरोल, जिला बारां

3. भूलीबाई बेवा सूरजमल, जाति मीणा, निवासी रायथल, तहसील मांगरोल, जिला बारां
4. जगन्नाथ आत्मज मूलीलाल जी, जाति मीणा, निवासी रायथल, तहसील मांगरोल, जिला बारां मृतक जरिये कायम मुकामान :–

4/1. रामेश्वर आत्मज जगन्नाथ, जाति मीणा, निवासी रायथल, तहसील मांगरोल, जिला बारां मृतक जरिये कायम मुकामान :–

4/1/1. मोहर बाई पत्नी रामेश्वर
4/1/2. पप्पू उर्फ ओम प्रकाश पुत्र रामेश्वर
4/1/3. जुगराज आत्मज रामेश्वर
जाति मीणा, निवासी रायथल, तहसील मांगरोल, जिला बारां

5. किशनलाल पुत्र मूलीलाल, जाति मीणा, निवासी राजपुरा, तहसील बारां, जिला बारां
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मांगरोल, जिला बारां

.....रेस्पोडेंट

अपील नं 2019/00124 (89/2019) एवं 2019/00125 (90/2019)
मु.द.नं0 12/2008 एवं 24/1990

एवं नाराजगी डिक्री अदालत– उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल
निर्णय व डिक्री दिनांक – 22.10.2018

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 06 माह 10 सन् 2025

उपस्थित श्री रामस्वरूप श्रृंगी अभिभाषक अपीलांट की ओर से, श्री मुकेश मीणा अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीले अपील संख्या 2019/00124 (89/2019) एवं 2019/00125 (90/2019) सारहीन होने से खारिज की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.10.2018 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 31 माह 10 सन् 2025 को जारी किया गया ।

मोहर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)